भाग एक: खण्ड पांच

मध्यप्रदेश चराई नियम, 1986

(मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 30-6-86 पृष्ठ 1049 से 1065 पर प्रकाशित)

क्र. फा. 7-1-84-दस-भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का क्र. 16) की धारा 26 की उपधारा (2) के खण्ड (क), धारा 32 के खण्ड (ठ) तथा धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सरकारी वनों में चराई विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् –

1. संक्षिप्त नाम व विस्तार - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ''मध्यप्रदेश चराई नियम, 1986'' है।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है,

(3) ये ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जिससे राज्य सरकार ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

नोट - राज्य सरकार ने अधिसूचना क्र. फा. 6-1-84-दस-3-दिनांक 30-6-86 को निम्नानुसार जारी की :

फा. 7-1-84/दस/3, मध्यप्रदेश चराइ नियम, 1986 के नियम 1, उपनियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, तारीख 1 जुलाई, 1986 को वह तारीख नियत करती है, जिसको कि ये नियम प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - (एक) ''चराई इकाई की धारण क्षमता'' से अभिप्रेत है पशु इकाई की वह अधिकतम संया, जिससे चराई भारत तथा अन्य बातों के आधार पर किसी विशिष्ट चराई इकाई में चराई के लिए प्रवेश दिया जा सकता है।

[1] (एक) विलुप्त

[1](दो) विलुप्त.....)

[1](तीन) ''पशु इकाई'' से अभिप्रेत -

(क) गाय, सांड तथा बैल दो वर्ष की आयु तक के	प्रत्येक आधी इकाई
(ख) भैंस दो वर्ष की आयु तक के	प्रत्येक एक इकाई
(ग) गाय, सांड तथा बैल दो वर्ष के ऊपर के	प्रत्येक एक इकाई
(घ) भैसें दो वर्ष के ऊपर के	प्रत्येक दो इकाई
(ङ) घोड़ा, घोड़ी खस्सी पशु (गिल्डिंग्स), टट्टू बछेड़ी, खच्चर, गधा	प्रत्येक एक इकाई
(च) मेढ़ा, मेढ़ी, भेड़, बकरा	प्रत्येक एक इकाई
(छ) ऊँट	प्रत्येक पांच इकाई
(ज) हाथी	प्रत्येक बीस इकाई

[1] (चार विलुप्त.....)

---

1. म.प्र. वन विभाग अधि. क्र. 3044-x -88 दिनांक 3-9-88 जो म.प्र. राजपत्र दि. 3.9.88 के पृष्ठ 1639 पर प्रकाशित से विलुप्त तथा उक्त अधि. से प्रतिस्थापित

1. म.प्र. वन विभाग अधि. क्र. 3044-x- 88 दिनांक 3-9-88 जो म.प्र. राजपत्र दि. 3.9.88 के पृष्ठ 1939 पर प्रकाशित से विलुप्त तथा उक्त अधि. से प्रतिस्थापित

(पांच) आढ़त विक्रेता (Commission Vendor) से अभिप्रेत है फारेस्ट फायनेन्शियल रूल (Forest Financial Rule) की धारा 35 के साथ पठित मध्यप्रदेश वन उपज पास नियम, 1961 (Madhya Pradesh Forest Produce Rules, 1961) के अधीन आढ़त विक्रेता के रूप में नियुक्त व्यक्ति।

[2](छः) विलुप्त .....)

(सात) चराई अनुज्ञप्ति (Grazing Forest Officer) द्वारा या उसका द्वारा अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी या आढ़त विक्रेता द्वारा जारी अनुज्ञप्ति।

(आठ) ''चराई इकाई'' (Grazing unit) से अभिप्रेत है वन क्षेत्र की वह इकाई जो चराई के लिये खुली घोषित की गई है।

(नौ) चराई वर्ष (Grazing year) चराई वर्ष से अभिप्रेत है। 1 जुलाई से आगामी वर्ष की 30 जून तक की कालावधि।

(दस) चराई भार (Incidence of grazing) से अभिप्रेत है पशु इकाईयों की वह अधिकतम संख्या जिसे वन क्षेत्र के प्रति हेक्टर में चराई की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

[2](ग्यारह) विलुप्त .....)

(बारह) अभिवहन चराई अनुज्ञप्ति (Transit grazing licencee) से अभिप्रेत है। राज्य के आरक्षित तथा संरक्षित वनों में से पशुओं का निकलना अनुज्ञात करने के लिए वन मण्डलाधिकारी द्वारा या अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या आढ़त विक्रेता द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति।

[3](तेरह) ''चराई उप-इकाई'' से अभिप्रेत है चराई इकाई का वह वन क्षेत्र, जो किसी संयुक्त वन प्रबंधन समिति को आवंटित है;

[3](चैदह) ''ग्राम सभा'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में यथा परिभाषित ग्राम सभा;

[3](पन्द्रह) ''संयुक्त वन प्रबंधन समिति'' से अभिप्रेत है सरकार के आदेश क्रमांक एफ 16-4-91-10-2, दिनांक 7-2-2001 के अन्तर्गत गठित समिति।''

3. चराई इकाई का गठन

(1) चराई इकाई का गठन वन वृत्त के भारसाधक वन संरक्षक (Conservator of forest in charge of circles) द्वारा किया जावेगा। परन्तु ऐसी चराई गठन तक आरक्षित वन खण्ड एवं संरक्षित वन खण्ड ही चराई इकाइयां होंगी।

(2) समस्त वन ग्रामों को तथा वन खण्ड (Forest block) सीमाओं से 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित ग्रामों को उस विशिष्ट चराई इकाई में चराई अनुज्ञप्ति जारी करते समय प्राथमिकता दी जावेगी। यह ग्राम इस विशिष्ट इकाई के ''सूचीबद्ध ग्राम'' (Listed village) कहलावेंगे। ग्रामों का सूचीबद्ध किया जाना वन मण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा। जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) प्रत्येक चराई इकाई (Grazing Unit) में चराई का भार उस चराई इकाई के घास उत्पादन, भू-क्षरण (Soil Erosion) वनों का प्रकार, तथा अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए वन वृत्तों के भार साधक वन संरक्षक द्वारा नियत किया जावेगा। ऐसा निर्धारित होने तक चराई का भार निम्नानुसार होगा:

(एक) समस्त आरक्षित वन खण्ड: एक पशु इकाई प्रति हेक्टेयर

(दो) समस्त संरक्षित वन खण्ड: दो पशु इकाई प्रति हेक्टेर

---

[2] वन विभाग की अधि. क्र. 3044-x-88 दि. 3.9.88 से विलुप्त/वन म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 3.9.88 को पृष्ठ 1639 पर प्रकाशित।

[3] अधि. क्र. एफ-7-4-2001-दस-3 दिनांक 21-5-2002 से खण्ड 13 से 15 जोड़े गये।

(4) चराई इकाई की धारणा क्षमता का निर्धारण, वन संरक्षक द्वारा विनिश्चित किये गये अनुसार चराई के भार और चराई के लिए बन्द घोषित किये गये क्षेत्र के आधार पर वन मण्डलाधिकारी द्वारा समय-समय पर किया जावेगा। इस प्रकार नियत कीक गई धारणा क्षमता (Crying Capacity) तथा चराई के लिए बन्द किये क्षेत्र को स्थानीय पंचायतों को अधिसूचित किया जायेगा।

4. चराई हेतु वनों में पशुओं के प्रवेश का विनियमन -

(1) पशुओं को जिनमें निशुल्क चराई के लिए अनुज्ञात पशु भी सम्मिलित हैं, विधिमान्य चराई अनुज्ञप्ति के बिना वनों में प्रवेश करने नहीं दिया जावेगा।

[4](2) मेढ़ा, मेढ़ी, भेंडद्व मेमना, बकरा, ऊँट और हाथी को आरक्षित वनों में चराई की अनुज्ञा नहीं दी जावेगी।

(3) आरक्षित वन में उपनियम (2) में उल्लिखित पशुओं को छोड़कर सभी पशुओं की सम्बन्धित वनों की चराई इकाई को धारण क्षमता की सीमा तक ही चराई के लिए अनुज्ञा दी जायेगी। चराई इकाई हमें उसकी धारण क्षमता के परे पशुओं के प्रवेश की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(4) किसी चराई इकाई की धारण क्षमता की सीमा के अध्यधीन रहते हुए पशुओं की चराई की अनुज्ञा निम्नलिखित अधिमान क्रम में दी जायेगी –

(एक) सूचीबद्ध ग्रामों की चराई इकाई से निकटता के आधार पर उन वन परिक्षेत्र (फारेस्ट रेंज) तथा वन प्रभाग के, जिसमें चराई इकाई स्थित है, के गाय, सांड, बैल तथा भैंसे को नियम 9 में दी गई दर के अनुसार अनुज्ञा।

(दो) ऊँट तथा हाथी को छोड़कर सूचीबद्ध ग्रामों के पशु।

(तीन) उस वन परिक्षेत्र तथा वन प्रभाग जिसमें इकाई स्थित है के पशुों की चराई इकाई के ग्रामों की निकटता के आधार पर।

(चार) अन्य वन प्रभागों के पशु।

(पांच) निकटस्थ राज्यों के पशु।

(छः) ऊँट तथा हाथी।

[5]5. चराई अनुज्ञप्ति मंजूरी करने की प्रक्रिया

(1) कोई भी व्यक्ति को जो चराई अनुज्ञप्ति करना चाहता है, वह सम्बन्धि ग्राम सभा को प्रारूप ''क'' में आवेदन देगा।

(2) नियम (2), (3) (4) लुप्त।

(5) ग्राम सभा को उन विशिष्ट चराई/उप इकाईयों के लिए, जहां कोई ऐसा आवंटन या परिसीमा नियत की गई हो, ग्रामों का आवंटन तथा उन विशिष्ट इकाईयों में चराई के लिए अनुज्ञात किये जाने वाले पशुओं की संख्या के संबंध में नियत की गई सीमाएं दर्शाते हुए एक सूची प्रदाय की जायेगी।

(6) ग्राम सभी चराई इकाई या उप इकाई में, उस इकाई की धारण क्षमता की सीमा तक, ि◌किसी विशिष्ट कालावधि के लिये या चराई वर्ष के लिए चराई अनुज्ञप्ति जारी करेगी।

(7) प्रारूप ''ख'' में जारी की गयी चराई अनुज्ञप्ति केवल उस चराई इकाई/उप इकाई के लिए विधिमान्य होगी, जिसके लिए वे जारी की गई है और वे एक चराई वर्ष की कालावधि से अधिक कालावधि के लिए नहीं होगी।

(8) चराई अनुज्ञप्ति का धारक, ग्राम सभा को आवेदन-पत्र के साथ केवल 10/- रुपये का भुगतान करके खोई हुई अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति अभिप्राप्त कर सकेगा।

---

[4] म.प्र. वन विभाग अधि. क्र. 3944-दस-88 दि. 3.9.88 से संशोधित

[5] म.प्र. वन विभाग अधि. क्र. एफ-7-4-2001-दस-3 दिनांक 21-5-2002 द्वारा धारा 5 संशोधित।

(9) ग्राम सभा, चराई अनुज्ञप्ति का भाग-2, परिक्षेत्र अधिकारी (रेंज आफिसर) को प्रस्तुत करेगी। ग्राम सभा, जारी की गई ऐसी चराइ अनुज्ञप्ति का लेखा भी वन मण्डल अधिकारी द्वारा विहित प्ररूप (फार्मेट) में परिक्षेत्र अधिकारी (रेंज आफिसर) को प्रस्तुत करेगी।''

6. चराई हेतु निषिद्ध क्षेत्र

(1) बन्द कूपों, (Closed Coupes), रोपण क्षेत्रों (Plantations), घास बीड़े (Grass Birs) और ऐसे अन्य क्षेत्रों में, जो वन मण्डलाधिकारी द्वारा चर्रा के लिए बन्द घोषित किए जावें तथा स्थानीय पंचायतों को अधिसूचित किया जावे, चराई की अनुज्ञा नहीं दी जावेगी।

(2) राष्ट्रीय उद्यानों (National Parks) तथा वन प्राणी अभ्यारण्यों (Wild Life Sanctuaries), में चराई का नियंत्रण वन प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित होगा।

7. अभिवहन चराई अनुज्ञप्ति (Transit Grazing Licence)

(1) जब अभिवहन किये जाने वाले पशुओं को आरक्षित और या संरक्षित वनों में से होकर गुजरना पड़ें तो अभिवहन अनुज्ञप्ति आपेक्षित होगी।

(2) गाड़ीवान को सम्मिलित करते हुए, सामयिक यात्री (Casual traveler) के साथ दो [6](पशु ईकाईयों) तक के लिये कोई चराई अनुज्ञप्ति आपेक्षित नहीं होगी।

(3) अभिवहन चराई फीस का भुगतान करने पर अभिवहन चर्रा अनुज्ञप्ति प्रारूप ''ग'' में जारी की जावेगी।

(4) अभिवहन में पशुओं को एक परिक्षेत्र में 30 दिन से अधिक चरने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जावेगा।

(5) परिवहन के दौरान -

(क) यदि पशुओं को रात्रि विश्राम के लिए ठहरना पड़े तो निकटतम वन अधिकारी को पूर्व सचना देने पर वे केवल मान्यता प्राप्त शिविर स्थलों या पहाड़ों में ही ठहरेंगे।

(ख) अभिवहन चराई अनुज्ञप्ति के धारक, अनुज्ञप्ति में उल्लिखित स्थानों पर अनुज्ञप्ति की जांच-पड़ताल करावेंगे।

(ग) अभिवहन चराई अनुज्ञप्ति की जांच-पड़ताल, कोई भी वन अधिकारी द्वारा अभिवहन के दौरान कहीं भी की जा सकेगी।

[7](6) अभिवहन चराई अनुज्ञप्ति केवल उस यात्रा तथा कालावधि के लिए विधिमान्य होगी जिसके लिए वह जारी की गई है, अनुज्ञप्ति गन्तव्य स्थान पर पहुंचने के 24 घण्टे के भीतर परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र सहायक या बीट गार्ड के पास जमा की जाएंगी।

[7](7) यदि यात्रा अभिवहन चराई अनुज्ञप्ति में उल्लिखित किये गये विहित गन्तव्य स्थान तथा कालावधि से अधिक होती है तो नई अभिवहन चराई अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करना पड़ेगी।

[7](8) अभिवहन के दौरान बकरे, भेड़, मेढ़ा, मेढ़ी, मेमना तथा ऊँटों को आरक्षित तथा संरक्षित वनों में चरने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी किंतु जहां मार्ग के अधिकार का प्रयोग किया जाए या कोई वैकल्पिक, रास्ता न हो, अर्थात् अत्यन्तिक रूप से जरूरी हो जहां प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा ऐसी शर्तों पर, जो कि आवश्यक समझी जाएं, सड़क के बीच की लकीर के दोनों और 100 मीटर से अनाधिक का गलियारी स्थान अनुज्ञात किया जा सकेगा तथा उसे अभिवहन चराई अनुज्ञहिप्त में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाएगा।

(9) वन वृत्तों के भारसाधक वन संरक्षक (Conservator of Forests, in charge of circles) यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निबन्धन (Suitable restrictions) आरोपित करेगा कि अभिवहन चराई का नियमित चराई का नियमित चराई

---

[6] वन विभाग संशोधन दिनांक 3-9-88 द्वारा शब्द पशुओं की संख्या के स्थान पर स्थापित।

[7] म.प्र. वन विभाग संशोधन क्र. 7-4-2000-दस-3 दि. 21-5-02 द्वारा उपनियम (6), (7) तथा (8) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

के लिए बहानों (Pretest) के रूप में तो उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इससे चराई इकाई में चराई की धारणा क्षमता का अतिक्रमण होगा। अभिवहन क लिए अपनाया गया मार्ग प्रस्थान करने वाले बिन्दु तथा गन्तव्य स्थान तक युक्तियुक्त रूप से सीधा होना चाहिए।

(10) उन मामलों में अभिवहन चराई अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जावेगी। जिसमें पशुओं का स्वामी, प्रस्थान स्थान का निश्चित स्थल मार्ग तथा गन्तव्य स्थान पकट नहीं करता।

(11) नियम 4 के अध्याधीन रहते हुए, किसी अभिवहन चराई अनुज्ञप्ति के मार्ग में आन वाले किसी एक वन प्रभाग (Division) में नियमित चराई अनुज्ञप्ति के रूप में परिवर्तित किया जा सकेगा, बशर्ते इकाईयों की धारण क्षमता ऐसा करने के लिए अनुज्ञात करे।

8. निकटस्थ राज्यों के पशुओं के लिए चराई

(1) मध्यप्रदेश राज्य के बाहर निवास करने वाले पशुओं के स्वामियों के पशुओं को भी उन्हीं निबन्धों तथा शर्तों और उसी फीस पर, जो इन नियमों में उपबंधित की है, वन की धारण क्षमता के अध्यधीन रहते हुए चराई या अभिवहन चराई सुविधाएं उपलब्ध की जावेंगी।

(2) राज्य सरकारी निकस्थ राज्यों के पशुओं में प्रवश तथा निर्गम के बिन्दु को तथा पशुओं तथा अनुसरण किये जाने वाले मार्ग या मार्गों को विनिर्दिष्ट करेगी।

नोट - राज्य शासन ने अधिसूचना क्र./फा. 7-1-84-दस-3 के द्वारा निम्नानुसार प्रवेश मार्ग, निर्गम स्थान एवं मार्ग निश्चित किये हैं जो राजपत्र दि. 30-6-86 में प्रकाशित हुए हैं।

अधिसूचना /फा. 7-1-84-दस-3 के दिनांक 30-6-86 मध्यप्रदेश चराई नियम 1986 के नियम 8, उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एदतद्द्वारा निकटस्थ राज्यों के पशुओं के लिए प्रवेश तथा निगर्म के बिन्दुओं और मार्गों को निम्नानुसार विदिर्दिष्ट करती है –

(अ) राजस्थान के पशु -

(एक) सवाई माधोपुर (राजस्थान) से माली घाट (चम्बल नदी), श्योपुर, करहाल, जोहरी, शिवपुरी मोहाना, ग्वालियर और भिण्ड हाकर उत्तरप्रदेश राज्य में इटावा में निकास।

(दो) शाहाबाद (राजस्थान) से बमोरी (गुना जिला, मध्यप्रदेश), गुना, इसागढ़ और चन्देरी होकर उत्तर प्रदेश में ललितपुर में निकास।

(तीन) इकलेरा (राजस्थान) से भोजपुर, खिलचीपुर, राजगढ़, सितोलिया, लटेरी, सिरोंज, चैराहा, सारस, बहेड़ी, ढाकोनी और चन्देरी होकर उत्तरप्रदेश राज्य में ललितपुर में निकास।

(ब) गुजरात राज्य के पशु जो अमरावती (महाराष्ट्र) की ओर से यात्रा करेंगे। झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर होकर महाराष्ट्र में निकास।

[8]9. चराई तथा अभिवहन चराई फीस - चराई सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिफल स्वरूप (क) नियम 4 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए ग्रामवासी कके स्वामित्व की निम्नलिखित पशु इकाईयों के लिए वार्षिक चराई फीस निम्नलिखित दरों से प्रभारित की जाएगी -

(एक) गय, सांड, बैल — निशुल्क

(दो) अन्य पशु --

(क) बीस पशु इकाई तक — निरंक

(ख) इक्कीस से तीस पशु इकाई रुपये 4.00 प्रति पशु इकाई

(ग) तीस पशु इकाई से अधिक रुपये 8.00 प्रति पशु इकाई

[8] म.प्र. शासन, वन विभाग अधि. क्र. 7-4-2001-दस-3 दि. 21 मई 2002 द्वारा नियम 9 संशोधित।

(ख) नियम 7 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए वार्षिक अभिवहन चराई फीस निम्नलिखित दरों से प्रभावित की जाएगी:

(ए) गाय, सांड बैंकल — निरंक

(दो) अन्य पशु — रुपये 40.00 प्रति पशु इकाई।''

(तीन) प्रत्येक ग्रामवासी को 21-30 पशु इकाई के लिए रुपये चार प्रति पशु इकाई की दर से प्रभारित की जावेगी।

(चार) नियम 7 के अध्यधीन रहते हुए अभिवहन चराई निम्नानुसार देय है--

(1) गाय, सांड, बैल..... निशफल्क।

(2) अन्य पशु..... रू. 8/- प्रति पशु इकाई।

10. चराई संबंधी अपराध - इन नियमों के किसी भी उपबन्ध का या तद्धीन जारी की गई अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का उल्लंघन भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन अपराध होगा।

11. अनुज्ञप्ति का रद्दकरण - अनुज्ञप्ति जारी करने वाला प्राधिकारी इन नियमों के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन या अनुज्ञप्ति की शर्तों में किसी शर्ता के विचलन की दशा में इन नियमों के अधीन जारी की गई किसी भी अनुज्ञप्ति को रद्द करने के लिए सक्षम होगा।

12. निरस्त तथा व्यावृत्ति - मध्यप्रदेश चराई दर नियम, 1979 एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं, सिवाय उन बातों के जो इस प्रकार निरसित किये गये नियमों के अधीन की गई या करने से छोड़ दी गई है।

चराई अधिनियम, 1986 पर टीप

मध्यप्रदेश में करीब गत दस वर्षों से गौवंश तथा भैंस वंश की चराई निःशुल्क थी तथा पशुओं का वनों में प्रवेश अनियंत्रित था। जिसके फलस्वरूप वनों में मध्यप्रदेश एवं पड़ोसी राज्यों के पशु बिना रो-टोक चराई करते थ। वनों में उनकी क्षमता से अधिक पशु चरने से चारा कम पड़ने लगा, तथा खाने योग्य चारा समाप्तप्राय हुआ और चराई से प्रतिरोधी पौधे जैसे पवांड (Cassiatora) वनों में बढ़ें। पुनरोत्पादन बहुत प्रभावित हुआ, वनों में भूक्षरण बढ़ा तथा पुनरोत्पादन न होने से वन नष्ट हुए। इस अत्यधिक और अनियंत्रित चराई से वनों को नष्ट होने बचाने के उद्देश्य से यह अधिनियम बना है। इस अधिनियम से –

(1) वनों में मवेशियों के प्रवेश के लिए पास की व्यवस्था की ई है, चहो निःशुल्क चराई हो।

(2) वनों में जो गाय वंश तथा भैंस वंश की चराई निःशुल्क थी उसके बचाय अब केवल कृषक, कृषि, मजदूर, ग्रामीण शिल्पी घरेलू पशुों की दस यूनिट ही निःशुल्क चराई के पात्र होंगे।

(3) वनों में अब उनकी धारण क्षमता के अनुसार ही पशु प्रवेश की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है।

(4) मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल ने अपने पत्र क्र. 7-14-84-10-3 दिनांक 25-8-90 द्वारा सीमावतर्ली जिलों के मवेशी की चराई हेतु निम्न निर्देश दिए हैं :

अनेक जिलों में यह स्थिति है कि उनकी सीमा पर स्थित ग्रामों के पशु परम्परागत रूप से चरने आते हैं। इनका मुख्य कारण संबधित जिलों में उन ग्रामों के पास चराई हेतु वन क्षेत्र उपलब्ध नहीं है तथा वहां चराई क्षमता सीमित है। सामान्यतः चराई शुल्क जिले में वसूल किया जाता है जहां वे चरने जाते हैं।

शासन की जानकारी में कुछ ऐसे प्रकरण आये हैं जहां ऐसे व्यक्तियों से दोनों जिलों में चराई शुल्क वसूल किया गया है, जो सही नहीं है। अतः स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी जिले के मवेशी परम्परागत रूप से चरने दूसरे जिले के सीमावर्ति ग्रामों में जाते हैं जो उनसे नियमानुसार चराई शुल्क वसूल न होने तथा चराई शुल्क उस जिले में वसूला जावेगा जहां मवेशी प्रवेश करते हैं। इन व्यक्तियों को चराई नियमों में उपलब्ध प्रथम 20 इकाई तक

निःशुल्क चराई तथा अगले 10 इकाई के लिए रियायती दर पर चराई सुविधा उपलब्ध होगी तथा दूसरे जिले में पशुओं के आवागमन को अभिवहन चराई नहीं माना जावेगा।

(6) प्ररूप 'क' के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् –

प्ररूप - क

(नियम 5(1) देखिए)

चराई पास/अभिवहन चराई पास के लिए आवेदन का प्रारूप

प्रति,

..... ग्राम सभा ..... में चराई पास/अभिवान/पास प्रदान किए जाने के लिए अनुरोध करता हूं। इस संबंध में विशिष्टयां निम्नानुसार हैं -

(क) आवेदक का नाम और पता,

पिता का नाम

(ख) पास का प्रकार/चराई पास/अभिवहन चराई पास

(ग) यदि आवेदन चराई पास के लिए है;

चराई इकाई का नाम

चराई उप-इकाई का नाम

ग्राम सभा का नाम

(घ) यदि आवेदन अभिवहन चराई पास के लिए है।

1. कहां से ग्राम तहसील जिला
2. कहां तक
3. राज्य सरकार द्वारा नियत मार्ग के ब्यौरे
4. अभिवहन की कालावधि

(ङ) पशुओं की संख्या एवं प्रकार

आवेदक

हस्ताक्ष्ज्ञर.....

तारीख.....

म.प्र. शासन वन विभाग अधि क्र. 7-4-2001-दस-3 दिनांक 21-5-2002 संशोधन द्वारा प्रारूप 'के' संशोधित। म.प्र. राजपत्र भाग 4(ग) यदि 31-5-2002 पृठ 83-84 पर प्रकाशित।

प्रारूप ''ख''

चराई अनुज्ञप्ति

(नियम 6 देखिए)

भाग एक, बाग दो, भाग तीन

पुस्तक क्रमांक

.....

पृष्ठ क्रमांक

.....

ग्राम पंचायत के प्रमाण-पत्र पुस्तक का क्रमांक

.....

पृष्ठ

क्रमांक.....

वन मण्डल का नाम

.....

चराई इकाई

क्रमांक.....

वन परिक्षेत्र वृत्त का नाम

.....

नाम

.....

पिता का नाम

.....

व्यवसाय

.....

पता

.....

पशु का विवरण	पशु की संख्या	पशु इकाई की संख्या	प्रति पशु इकाई दर	चराई फीस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

योग .....

कालावधि जिसके लिए विधिमान्य है.....30 जून, 20..... तक

तारीख .....

.....

नाम.....

पदनाम.....

मुद्रा.....

वन मण्डल की मुद्रा तथा वर्ष .....

प्रारूप 'ग'

अभिवहन चराई अनुज्ञप्ति

(नियम 7 देखिये)

भाग एक, भाग दो, भाग तीन

पुस्तक क्रमांक

.....

वन मण्डल का

नाम.....

वन परिक्षेत्र सहायक वृत्त का नाम

.....

वन मण्डल का
नाम.....
वन परिक्षेत्र सहायक वृत्त का नाम.....
वन परिक्षेत्र का
नाम.....
नाम.....
....
पिता का
नाम.....
निवास स्थान
.....
ग्राम.....
परिक्षेत्र.....
वनमण्डल ..... से
.....ग्राम.....परिक्षेत्र.....
वनमण्डल .....
तक
अनुमानित दूरी..... कि.मी.
वह कालावधि जिसमें अनुज्ञप्ति विधिमान्य
रहेगी तारीख ..... से
.....तारीख.....तक

(क) मार्ग में आने वाले ग्राम तथा शहरों के नाम

.....

(ख) मार्ग में आने वाले वन परिक्षेत्र तथा वन
मण्डलों का नाम

.....

(ग) मार्ग में आने वाले जांच-स्थलों के नाम

.....

(घ) मार्ग में आने वाले पड़ावों के नाम
जहां पशु ठहराये जा सकेंगे

.....

.....

पशु का विवरण	पशु की संख्या	पशु इकाई की संख्या	प्रति पशु इकाई दर	अभिवहन चराई फीस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

.....

....
अनुज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

……

पदाभिदान……

मुद्रा……